

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2022 — फाल्गुन 16, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 (फाल्गुन 16, 1943)

क्रमांक – 2628/वि.स./विधान/2022 – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./—

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2022

वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|--|----|---|
| संक्षिप्त नाम. | 1. | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2022 कहलाएगा। |
| वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य की संचित निधि में से 4,92,33,72,398 रूपयों का दिया जाना। | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2022 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 4,92,33,72,398 (चार सौ बानबे करोड़ तैंतीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ अनठानबे रूपये) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। |
| विनियोग. | 3. | इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी। |

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹	₹	
03	पुलिस	राजस्व	0	1,00,00,000	1,00,00,000
		पूंजी	2,90,00,000	0	2,90,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,50,00,00,100	0	2,50,00,00,100
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	0	0	0
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,86,30,000	0	5,86,30,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,07,39,72,000	1,03,25,000	1,08,42,97,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	44,02,18,720	0	44,02,18,720
		पूंजी	100	0	100
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	0	2,23,26,898	2,23,26,898
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	13,77,53,280	0	13,77,53,280
65	विमानन विभाग	राजस्व	100	0	100
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	0	64,11,46,000	64,11,46,000
	योग	राजस्व	4,21,05,74,300	68,37,97,898	4,89,43,72,198
		पूंजी	2,90,00,200	0	2,90,00,200
	वृहद योग		4,23,95,74,500	68,37,97,898	4,92,33,72,398

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 06 मार्च, 2022

भूपेश बघेल,
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा